राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांक / सर्वे–रिसर्वे / 2026 / 237 दिनांकः–. 08.04.26

Gcms No- 2026/311

:: आदेश::

प्रार्थी चम्पालाल पुत्र मुलाराम निवासी पादरडी कला द्वारा ग्राम पादरडी कलां में किये गये सर्वे रिसर्वे के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पादरडी कला के गत खसरा संख्या 588 किस्म गै.मु.आबादी का वर्तमान सर्वे रिसर्वे के दौरान खसरा संख्या 588 का नया खसरा संख्या 377 व 387 बना खसरा संख्या 387 की किस्म तो सही गै.मु.आबादी दर्ज की गई परन्तु खसरा संख्या 377 की किस्म सहवन से गै.मु. ओरण दर्ज कर दी गई, जबकि उक्त खसरा ग्राम पादरडी कलां का मुख्य आबादी का खसरा है अतः नये खसरा संख्या 377 की किस्म गै.मु. आबादी दुरूस्त की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार ग्राम पादरडी कलां के मूल खसरा संख्या 588 रकबा 5.3499 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी का तहसील सिवाना के सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 377 रकबा 5.4998 हैक्टेयर व खसरा संख्या 387 रकबा 0.1696 हैक्टेयर बना, खसरा संख्या 387 की किस्म गै.मु.आबादी दर्ज की गई परन्तु खसरा संख्या 377 की किस्म दर्ज करते समय सहवन से गै.मु.ओरण दर्ज कर दी गई तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में गै.मु.ओरण के स्थान पर गै. मु. आबादी दर्ज किया जाना उचित बताया है।

हमने तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेज पर गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। ग्राम पादरडी कलां के जमाबंदी संवत् 2074 में खसरा संख्या 588 किस्म गै.मु. ओरण दर्ज है, खसरा संख्या 588 का तहसील सिवाना के सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 377 रकबा 5.4998 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ओरण व खसरा संख्या 387 रकबा 0.1696 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी दर्ज किया गया जबकि मूल खसरा संख्या 588 से बने दोनो नवीन खसरे की किस्म गै.मु.आबादी ही दर्ज की जानी थी, तहसीलदार सिवाना ने उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरडी कलां के खसरा संख्या 588 सर्वे रिसर्वे के पश्चात बने नवीन खसरा संख्या 377 किस्म गै.मु.ओरण कि वर्तमान मौजूद किस्म गै.मु.ओरण को निरस्त किया जाकर ग्राम पादरडी कलां की खसरा संख्या 377 कि किस्म गै.मु.ओरण के स्थान पर गै.मु.आबादी दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्रसिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)